

पात्रता

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के अन्तर्गत 2024-25 तक की अवधि के लिये राज्य के प्रत्येक जिले में रिसोर्स पर्सन सूचीबद्ध किये जाने हैं। इनका कार्य एकल उद्योगों एवं समूहों की डीपीआर तैयार कर आवेदन प्रस्तुत करना, बैंकों से ऋण, खाद्य मानकों, उद्योग आधार, जीएसटी आदि पंजीकरण व लाईसेन्स प्राप्त करने में सहायता करना होगा। डीपीआर तैयार करने हेतु निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे।

Any graduate person(s) (retired Govt./Bank Officials, Insurance agents, Bank mitras, DSA's of Banks, consultancy firms, individual professionals in food processing) facilitating/handholding the individual micro food processing enterprises applicants may be recognized.

प्रति प्रकरण स्वीकृति पर दो किशतों में बीस हजार रूपये का पारिश्रमिक देय होगा। इसका 50 प्रतिशत ऋण स्वीकृति के पश्चात तथा शेष 50 प्रतिशत खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों अन्तर्गत परियोजना के इम्प्लीमेंटेशन के पश्चात देय होगा।

योग्य इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में पासपोर्ट साईज फोटो के साथ महाप्रबन्धक (प्रशासन) को आनलाईन प्रेषित करें। योजना का पुरा विवरण तथा आवेदन प्रपत्र वेबसाईट <https://pmfmersamb.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरकर pmfmerajasthan@gmail.com, और Dyregis.rsamb@rajasthan.gov.in पर भिजवायें।